न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज श्रीमन बनाम नेमीचन्द मु.नं. 110/24 (दावा)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
	11.2.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रा. पत्र T.I हेतु समय चाहा। अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. पत्र T.I दिनांक 7/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	07/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र. अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/4/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	25/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
110/2021	07.06.2021	25.04.2025

बउनवान

1. श्रीमन पुत्र खैराती निवासी बडावास बालाहेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. नेमी चन्द पुत्र धनसीराम निवासी बडावास तहसील मण्डावर जिला दौसा
2. रामखिलाडी पुत्र धनसीराम निवासी बडावास तहसील मण्डावर जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री लीलाराम मीना।
2. अभिभाषक अप्रार्थी– श्री गिर्राज प्रसाद।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अभिभाषक लीलाराम मीना ने इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि भूमि मुतदाविया ग्राम बडाबास पटवार हल्का बालाहेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा में भूमि खतौनी सं. 1 में खसरा सं. 208 रकबा 0.35 हैक्टे. गैर मुमकिन तलाई स्थित है। अप्रार्थीगण का भूमि मुतदाविया से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण दादागिरी के बल पर गैर मुमकिन तलाई की भूमि पर अपना नाजायज कब्जा कर रहे है जिसके लिये अप्रार्थीगण के द्वारा तलाई की भूमि पर अवैध पुख्ता निर्माण किया जा रहा है जिसको प्रार्थी एवं अन्य लोगों ने निर्माण कार्य करने से मना किया लेकिन वे लोग अपनी हठधर्मिता अपनाये हुये है तथा मरने मारने पर आमादा है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थी के द्वारा एक शिकायती पत्र नायब तहसीलदार बैजूपाडा तहसील मण्डावर के समक्ष दिनांक 11.05.2021 को भी अवैध निर्माण करने के बाबत पेश किया जिस पर नायब तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा निर्माण कार्य नही करने के लिये पाबंद किया लेकिन उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण निर्माण करने से बाज नही आ रहा है जिस पर नायब तहसीलदार बैजूपाडा के द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना महवा को भी कार्यवाही करने लिये पत्र प्रेषित किया लेकिन उसके बावजूद भी कार्यवाही नही होने के कारण अप्रार्थीगण के हौसले बुलन्द है तथा अप्रार्थीगण ने जोरशोर से निर्माण कार्य चालू कर रखा है। ऐसे में प्रार्थी, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद करवाने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण स्वयं या अपने नौकरों, एजेन्टों, घरवालों व अन्य मददगारों से भूमि मुतदाविया पर किसी भी प्रकार का निर्माण न

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

करें, नाजायज कब्जा न करे, तथा प्रार्थी व आमजन के उपयोग उपभोग इस्तेमाल में किसी भी प्रकार की बाधा व रूकावट पैदा नही करें। अप्रार्थीगण दिनांक 11.08.19 को काफी मात्रा में कारीगर व बेलदारों को लेकर भूमि मुतदाविया पर आये तथा काफी मात्रा में बजरी पत्थर आदि डालकर पुख्ता निर्माण करना शुरू कर दिया। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से निर्माण करने को मना किया तथा आमजन व राज्य सरकार के आजजन के उपयोग उपभोग की मिल्कीयत की भूमि होना बताया गया तो अप्रार्थीगण नाराज हो गये तथा प्रार्थी को धमकी दी कि वर्तमान में एम.एल.ए. हमारा है तथा हम लाठी के बल पर अब सम्पूर्ण भूमि पर अपना पुख्ता निर्माण करके लोगो को बेचान करके रहेंगे। यदि प्रार्थी ने रोकने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। यदि अप्रार्थीगण अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को नुकसान होगा जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी कदर से सम्भव नही हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन चल पडेगे जो बाय से बरबादी प्रार्थी होंगे। ऐसे में प्रार्थी को सिवाय प्रार्थना पत्र के और कोई चारा नजर नही आया। इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण स्वयं या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालों या अन्य मददगारों के भूमि मुतदाविया में या उसके किसी भी भू–भाग पर किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से, अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने की कोशिश करने से अर्थात किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से दवामि तौर पर पाबंद रहें।

2. प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण आराजी खसरा खसरा सं. 208 रकबा 0.35 हैक्टे. ग्राम बडाबास पटवार हल्का बालाहेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा गैर मुमकिन तलाई पर हस्तक्षेप व निर्माण नहीं करे।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार किया गया एवं जबाव दिया गया कि खतौनी संख्या 1 में खसरा सं. 208 रकबा 0.35 हैक्टे. गै.मु. तलाई स्थित होना सही है। अप्रार्थीगण न तो बाहुबली है और ना ही भू–माफिया है और ना ही अपराधी किस्म के व्यक्ति है। वादी ने प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से मनगढन्त तथ्यों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा कोई बाहुबली तरीके से व भूमाफिया के बल पर गैर मुमकिन भूमि पर नाजायज कब्जा नहीं किया जा रहा है जबकि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा मन्दिर के उपयोग–उपभोग के लिए पुजारी, साधु सन्त व भक्तों के ठहरने व विश्राम के लिये कमरे का निर्माण किया जा रहा है जिसमें आम जनता व ग्राम पंचायत सरपंच की पूर्ण सहमति व स्वीकृति है जिसमें अप्रार्थीगण का कोई निजी हित व स्वार्थ नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, वह निजी स्वार्थ के लिये नहीं किया जा रहा है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी

बल्कि मन्दिर के उपयोग उपभोग के लिये किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के सिद्वान्त बमुकाबिले वादी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र में चाही गयी इस्तदुआ दादरसी कतई गलत है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी सं. एक नेमीचन्द मीना द्वारा खसरा सं. 208 गै.मु. तलाई के रकबा 0.35 हैक्टे. में मौके पर काफी समय से मन्दिर बना हुआ है जिसके चारों और पक्की चारदीवारी बनी हुई है जिसमें एमएलए कोटे से एकल बिन्दु व हेडपम्प लगा हुआ है जो आम जनता व सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है। मन्दिर में दोनों समय पूजा पाठ व आरती नियमित समय पर होती है जिसमें मन्दिर में पुजारी, साधु सन्त व भक्त रहते है जिसमें विपक्षी सं. 1 नेमीचन्द मीना सेवानिवृत प्रधानाचार्य द्वारा आम जनता की सर्वसम्मति एवं ग्राम पंचायत सरपंच अलीपुर की सर्व सम्मति से एक मन्दिर के उपयोग–उपभोग के लिये मन्दिर के पुजारी व साधु सन्तों एवम् भक्तों के ठहरने व विश्राम करने के लिये एक कमरे का निर्माण कर रहे है जिसमें आम जनता बडावात व ग्राम पंचायत अलीपुर के लोगों की सर्वसम्मति है। गाँव के कुछ असामाजिक तत्व मन्दिर के विकास में बाधा उत्पन्न करते है। ऐसे लोगों ने श्रीमान के समक्ष यह दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत अलीपुर के सरपंच ने भी दिनाँक 21.06.21 को अपने लैटर पेड़ पर अंकित किया है कि उक्त कमरे का निर्माण सार्वजनिक उपयोग हेतु किया जा रहा है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अप्रार्थीगण बहस के दौरान उपस्थित नहीं हुये।

5. पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी व पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम बडाबास तहसील बैजूपाडा में स्थित वादग्रस्त आराजीयात गैर मुमकिन तलाई की खातेदारी आराजीयात है जिसका काश्तकार राजस्थान सरकार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी का खातेदार होना आवश्यक है किन्तु इस प्रकरण में प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी का खातेदार नहीं होने के कारण सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

7. उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

8. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर ग्राम बडाबास तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 208 रकबा 0.35 हैक्टे. के सम्बन्ध में, अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.06.2021 को जारी की गई अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

9. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 25.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)